

बिहार सरकार
श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग

॥ अधिसूचना ॥

पटना-01, दिनांक-

सं०सं०-1/श्रम वि०स्था०(1)10-05/2021 श्र०सं०...../श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को बिहार सेवा संहिता के नियम 227 एवं 230 में निहित प्रावधान के तहत दिनांक 18.08.2025 से 21.08.2025 तक कुल 04 दिनों के उपभोगित उपार्जित अवकाश की स्वीकृति दी जाती है।

2 इसके उपरान्त श्री शशि शेखर के पक्ष में दिनांक 22.08.2025 तक कुल 144 दिनों का उपार्जित अवकाश आदेय रह जायेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,


ह०/-
(राजीव रंजन)
सरकार के संयुक्त सचिव

ज्ञापांक-1/श्रम वि०स्था०(1)10-05/2021०५...../श्र०सं० पटना, दिनांक-०२/६/२६

प्रतिलिपि : प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट, वित्त विभाग, बिहार, पटना (सी०डी० सहित बिहार गजट में प्रकाशनार्थ)/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वै०दा० नि०को०) विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/श्रमायुक्त, बिहार, पटना/श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना एवं आई०टी० मैनेजर, (विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशनार्थ) श्रम संसाधन एवं प्रवासी श्रमिक कल्याण विभाग, बिहार, पटना को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्रमायुक्त, बिहार, पटना से अनुरोध है कि HRMS के अंतर्गत Leave Management Portal पर श्री शशि शेखर के शेष आदेय अवकाश की प्रविष्टि कर ली जाय।

3. श्री शशि शेखर, सहायक श्रमायुक्त, श्रमायुक्त कार्यालय, बिहार, पटना को निदेश दिया जाता है कि भविष्य में सभी प्रकार के अवकाश अभ्यावेदन HRMS के माध्यम से समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।


सरकार के संयुक्त सचिव